न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी प्रतिमा वर्मा, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 79/2020 वाद

1. श्री मांगीलाल पिता मनजी भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पुनकी पत्नी स्व0 सिगरिया भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती होमली पुत्री स्व0 सिगरिया भील, पत्नी श्री पनीया, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. श्री दिनेश पिता श्री कानजी कटारा (फौत हो जाने से रिकार्ड से हटाया गया)
2. श्री कमला पिता श्री नाना भील जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री राजू पिता श्री कमला भील, जाति उम्र वयस्क, निवासी बड़ला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री भैरू पिता श्री शंकर भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री कविश पिता श्री शंकर भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
श्री अजय सिंह हाड़ा अधिवक्ता वादीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 04.09.2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा ग्राम पई पटवार हल्का पई तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 1536, 1537, 1538 कुल किता 3 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि होकर अपने बाप दाद के समय से वादीगण संयुक्त रूप से उपरोक्त भूमि एवं अन्य खातेदारी भूमि को उपयोग–उपभोग निरंतर एवं निर्बाध रूप से करता चला आ रहा है जिसमें किसी भी रूप का व्यवधान करने का दिगर व्यक्ति को कभी प्राप्त नही रहा ना ही कभी है। वादीगण की उपरोक्त भूमि में वादीगण ने अन्य खातेदारों के मध्य आपसी सहुलियत से पशु चारा एवं फसल बो रखी है तथा वादीगण अपनी सुविधा से उपयोग–उपभोग करके भूमि का उपयोग कर रहे है किन्तु हाल ही में प्रतिवादी संख्या 1 जो कि गांव पई का सरपंच

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

होकर बाहुबली व्यक्ति है उसेक द्वारा अन्य प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 के साथ मिलकर अपनी शक्ति व बल के आधार पर वादीगण को यह धमकियां दी गई कि तुम्हारी यह भूमि या तो तुम मुझे विक्रय कर दो व मेरे खातो चढवा दो अन्यथा मैं इसे किसी भी हाल में तुमसे प्राप्त करके रहूंगा जबकि प्रतिवादीगण का उपरोक्त वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 1536, 1537, 1538 से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ना ही प्रतिवादीगण को इस प्रकार का कोई हक प्राप्त है कि वह वादीगण की भूमि में किसी भी प्रकार से प्रवेश करें अथवा भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने के आशय से वादीगण को अवैधानिक ढंग से बेदखल कर देवे। वादीगण सीधे साधे ग्रामीण कृषक है एवं प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज गिरोह बना भारी आतंक फैला रखा है, वादीगण का रात बरात इधर उधर आना जाना मुश्किल हो गया है यदि प्रतिवादीगण येन केन प्रकारेण अपने षड़यन्त्र में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रतिवादीगण का वादीगण की भूमि से कोई लेना नहीं है ता नो प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि में प्रवेश करने हेतु अधिकृत है ना ही उसे वादीगण द्वारा किये जा रहे भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी करने का कोई हक अधिकार ही प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। वादकारण दिनांक 09.06.2020 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपनी भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ झोपड़े एवं कृषि यंत्र हेतु छाया करने के लिए व्यवस्था कर रहे थे उसी समय प्रतिवादीगण ने आकर वादीगण के साथ झगड़ा किया एवं काम रूकवाने का प्रयास किया।

अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी संख्या 1536, 1537, 1538 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि में प्रवेश नहीं करें, न ही उक्त भूमि के वादीगण के किये जा रहे उपयोग उपभोग में बाधा ही उत्पन्न करें, ना ही वादीगण को बेदखल करे उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने नोकर चाकर ऐजेण्ट से ही करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या एक के फौत हो जाने से प्रतिवादी संख्या एक का नाम तर्क दिनांक 14.06.2022 को किया गया शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के जवाब अवसर बन्द किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से विद्ववान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सूनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अध्ययन कर मनन किया गया। पत्रावली के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम पई पटवार मण्डल पई के खाता संख्या नई 264 पुरानी 229 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण खातेदार काश्तकार की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का कोई हक एव अधिकार नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 8 नियम 10 अनुसार –

"जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया – जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे, नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे न्यायालय द्वारा यथास्थिति, अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसके विरूद्ध निर्णय सुनायेगा या वाद के संबध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात डिक्री तैयार की जायेगी।"

अतः प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने एवं जवाब हेतु समूचित अवसर दिए जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पई पटवार हल्का पई तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 1536, 1537, 1538 कुल किता 3 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा पारित की जाती है कि वह उक्त आराजीयात का वादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने परिजनों, नौकरों, ऐजेन्टों इत्यादि से ही करावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

Pratibha 04/05/23

(प्रतिभा वर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

डिक्री व मुकदमे इकतरफाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. मुकदमा 79/2020 सन् 2020 शीर्षक वाद (1)श्री [illegible] पिता मगजी भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बडला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (2)श्रीमती पुनकी पत्नी स्व0 सिगरिया भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बडला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (3)श्रीमती होगली पुत्री स्व0 सिगरिया भील, पत्नी श्री पनीया, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बडला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1) श्री दिनेश पिता श्री कानजी कटारा (फौत हो जाने से रिकार्ड से हटाया गया) (2)श्री कमला पिता श्री माना भील जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बडला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (3)श्री राजू पिता श्री कमला भील, जाति उम्र वयस्क, निवासी बडला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (4)श्री भैरू पिता श्री शंकर भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बडला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (5)श्री कविश पिता श्री शंकर भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बडला फला, ग्राम पई, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री अजय सिंह हाड़ा अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने एवं जवाब हेतु समुचित अवसर दिए जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पई पटवार हल्का पई तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 1536, 1537, 1538 कुल किता 3 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वह उक्त आराजीयात का वादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने परिजनों, नौकरों, ऐजेन्टों इत्यादि से ही करावें।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....x.......... रुपये की राशि ....x........ आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....x.......... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....x.......... द्वारा ......x...... को दी जाए।

यह आज तारीख 04 माह 09 सन् 2023 को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....

पद ....

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		